कार्यालयः– प्रभारी अधिकारी (च.श्रे.क.भर्ती परीक्षा) सिविल न्यायाधीश (व.खं) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर (राज.)

क्रमांकः स्था./2014/01 दिनांकः 15 जुलाई, 2014

–:: विज्ञप्ति ::–

मेड़ता न्यायाक्षेत्र में वर्तमान 11 अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 व राज्य सरकार की संशोधित अधिसूचना एफ./14(1)/एफ डी (रूल्स)/2013–II दिनांक 28.06.2013 के अन्तर्गत रनिंग पे–बैण्ड पी बी–1, 5200–20200, ग्रेड पे 1700 में, किन्तु राजस्थान सरकार की अधिसूचना एफ./11(7)/एफ डी (रूल्स)/2008 दिनांक 12.09.2008 व संशोधित अधिसूचना एफ./14(1)/एफ डी (रूल्स)/2013–II दिनांक 28.06.2013 के अन्तर्गत दो वर्ष तक देय नियम पारिश्रमिक 5400/– रूपये प्रतिमाह प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत पारिश्रमिक पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवारों से विज्ञप्ति में दी गयी शर्तो एवं निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है। उक्त रिक्त पदों में 08 पद सामान्य श्रेणी, 02 पद अनुसूचित जनजाति व 01 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। रिक्त पदों की संख्या अस्थायी/अनन्तिम (Tentative) है। इन पदों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश अथवा अन्तर न्यायक्षेत्र स्थानान्तरण से भी भरा जा सकता है। उक्त विज्ञप्ति के पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। नियमित वेतन श्रृंखला देने पर वित्त विभाग, राज.सरकार के परिपत्र एफ.6 एफ डी (रूल्स)/2005 दिनांक 13.03.06 के अनुसार मेडी–क्लेम पॉलिसी लेनी होगी तथा चिकित्सा व्यय का पुर्नभरण राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों व नवीनतम संशोधनों के अध्यधीन होगा। उक्त प्रवर्ग में महिलाओं, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को आरक्षण उनसे सम्बन्धित संवर्ग में रिक्त पदों पर 20 (बीस) प्रतिशत क्षैतिजिक (Horizontal) आरक्षण देय होगा अर्थात् महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित संवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप में समायोजित किया जावेगा। विकलांग, स्पोटर्समेन, भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

1. **आयु**

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नही होना चाहिए। राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में नियमानुसार छूट देय होगी।

2. **वेतन**

रनिंग Pay Band S-5200-20200 में वर्तमान में राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ./11(7)/एफ डी (रूल्स)/2008 दिनांक 12.09.2008 व संशोधित अधिसूचना एफ./14(1)/एफ डी (रूल्स)/2013–II दिनांक 28.06.2013 के अन्तर्गत दो वर्ष तक देय नियम पारिश्रमिक 5400/– (अक्षरे पॉच हजार चार सौ मात्र) रूपये प्रतिमाह देय होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त रनिंग Pay Band S-5200-2020 Grade Pay 1700 में नियमानुसार वेतन नियतन किया जावेगा।

3. **शैक्षणिक योग्यता**

अभ्यर्थी को उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए एवं देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए।

4. **शारीरिक योग्यता**

अभ्यर्थी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक एवं मानसिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

.............02

5. **आवेदन पत्र**

अभ्यर्थी को आवेदन पत्र सादा कागज पर सुस्पष्ट लेखन में लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां संलग्न करनी होगी तथा आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी को दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करने होंगे। इस विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में ही अभ्यर्थी को आवेदन करना होगा ।

6. **चरित्र**

अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षण संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र तथा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों जो उसके रिश्तेदार नहीं हो, द्वारा दिए गए चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराने न हो आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

7. **पात्रता**

भर्ती नियमों में वांछित पात्रता पूर्ण करने पर ही अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र होगा। पात्रता के संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।

8. **नियुक्ति के लिए निरर्हता**

1– कोई भी पुरूष अथवा महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

2– कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

3– ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

9. **आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तारीख**

आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2014 को 05:00 पी.एम. बजे तक इस कार्यालय में पंहुच जाने चाहिए। इस विज्ञप्ति से पूर्व एवं अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण हेतु वांछित प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक है। डाक में देरी से अथवा अन्य किसी कारण से हुई देरी के लिए अभ्यर्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।

10. **साक्षात्कार**

आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु योग्य पाया जायेगा, उनकी सूची तथा साक्षात्कार स्थल की सूचना दिनांक 17.08.2014 को 03:30 पी.एम. पर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी तथा जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता की वेबसाईट http://ecourts.gov.in/nagaur पर अपलोड कर दी जायेगी। साक्षात्कार दिनांक 13.09.2014 को प्रातः 10:30 बजे से लिया जायेगा। जिसकी सूचना पृथक से किसी भी अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जावेगी तथा न ही इस साक्षात्कार हेतु इस कार्यालय द्वारा कोई यात्रा भत्ता देय होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न की गई सत्य प्रतिलिपियों की मूल प्रति साक्षात्कार के समय लेकर उपस्थित होवे। किसी भी प्रकार की सिफारिश करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के अयोग्य घोषित किया जावेगा।

11. **राष्ट्रीयता**

(1) सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या (ग) भूटान का प्रजाजन हो, या (घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व तिब्बत से आया शरणार्थी हो, या (ड) भारतीय उद्‌भव का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका के देश केनिया, युगाण्डा तथा तनजानियां गणतन्त्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीवार) जाम्बिया, मालावी, जेरे, इथियोपिया और वियतनाम से आयी हो।

...................03

परन्तु (ख)(ग)(घ) और (ड़) प्रवर्गो का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में (सरकार के गृह और न्याय विभाग के समुचित सत्यापन के पश्चात्) पात्रता प्रमाण दिया हो।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है किसी नियुक्ति प्राधिकारी/समिति द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकेगा तथा उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र दिये जाने के अध्ययधीन अन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।

12. घोषणा पत्र

पैरा सं. 08 के बिन्दू सं. 1, 2, व 3 में वर्णित तथ्यों के संबंध में आवश्यक घोषणा का संलग्न प्रारूप में शपथ–पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर आवेदन के साथ संलग्न करें।

13. विवाह पंजीयन

विवाहित स्त्री/पुरूष आवेदन में अपने पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करें तथा जिन अभ्यर्थी का विवाह दिनांक 22.05.2006 या उसके पश्चात हुआ है वे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें तथा दिनांक 22.05.2006 के पूर्व विवाहित हुए अभ्यर्थी निम्नांकित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।

प्रपत्र – 6

मैं .... पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमति .... निवासी .... शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि मेरा विवाह श्री/श्रीमति .... निवासी .... के साथ सम्पन्न हुआ था परंतु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू नहीं होने से पूर्व दिनांक .... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

अथवा

मेरा विवाह श्री/श्रीमति .... निवासी .... के साथ दिनांक .... को राजस्थान राज्य के बाहर होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

14. पेंशन योजना एवं स्थाई पारितोषण

राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15 (7) एफ.डी. (रूल्स) 97 दिनांक 14.01.2004 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2004 के बाद नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सभी नियम लागू होंगे तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ. 12(6) एफ.डी. (रूल्स) 05/दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेन्डेन्ड रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थायी पारितोषण संबंधी सभी नए नियम लागू होंगे।

15. आवेदन पत्र

अभ्यर्थी को सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी वर्तमान में कहीं सेवारत है तो उसे अपना आवेदन अपने नियुक्ति अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करना होगा। अपूर्ण प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और उसकी कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जावेगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगीः–

1– शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र की प्रति.

2– जन्म तिथि प्रमाण–पत्र की प्रति.

3– आरक्षण/आयु में छूट चाहने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की प्रति.

4– दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए.

5– क्र.सं. 12 व 13 में वर्णित अनुसार दो से अधिक संतान न होने के संबंध में, दहेज न लेने/न लिया के संबंध में, दो या दो से अधिक जीवित पत्नी न होने के संबंध में तथा विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र या विवाह पंजीयन न होने के संबंध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र.

...................04

नोटः–आवेदन पत्र के संलग्न किए जाने वाले प्रमाण–पत्र/शपथ पत्र की सूची आवेदक को आवेदन के पीछे क्रमवार लिखकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होगें ।

16. अन्य

1. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ जिन प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत की गई है, उन सभी के मूल प्रमाण–पत्रों को साक्षात्कार के समय साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।
2. आवेदक द्वारा भर्ती के संबंध में किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिश करता/करवाता है तो उसे भर्ती हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।
3. आवेदक जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गलत या कूटरचित प्रलेख, सूचना प्रेषित करने एवं अनुचित साधन प्रयोग में लाये जाने के कारण विवार्जित किया गया है, वो इस नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा ।

4- साक्षात्कार दिनांक 13.09.2014 को लिया जायेगा, किन्तु अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर उस दिवस को शेष रहे आवेदकों का साक्षात्कार अगले दिवस दिनांक 14.09.2014 को लिया जायेगा एवं इसके पश्चात् भी शेष रहे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 15.09.2014 को लिया जावेगा। जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी एवं जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता की वेबसाईट http://ecourts.gov.in/nagaur पर भी अपलोड कर दी जावेगी। अभ्यर्थी समय–समय पर उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

5. आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का स्वंय हस्ताक्षरित फोटो नहीं होने, आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं होने, आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं होने, आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों में कांट–छांट होने, अपूर्ण प्रार्थना पत्र पेश करने अथवा अनिवार्य दस्तावेज एवं मूल शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर तथा इस विज्ञप्ति में दिए निर्देशों के अनुसार आवेदन पूर्ण नहीं होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई सूचना आवेदक को पृथक से प्रेषित नहीं की जायेगी ।

नोटः–इस विज्ञप्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना एवं अभ्यर्थियों को निर्देश के सम्बन्ध में जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता की वेबसाईट http://ecourts.gov.in/nagaur का समय–समय पर अवलोकन करते रहें ।

संलग्नःआवेदन पत्र प्रारूप.

प्रभारी अधिकारी
(च.श्रे.क.भर्ती समिति)
सिविल न्यायाधीश (व.खं) एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर ।

क्रमांक..............

दिनांक 15 जुलाई, 2014

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर.
2. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर.
3. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ...
4. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, मेड़ता न्यायक्षेत्र ....
5. जिला नियोजन अधिकारी, नागौर.
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी नागौर ।
8. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा परिसर.
9. ....
10. रक्षित पत्रावली.

प्रभारी अधिकारी
(च.श्रे.क.भर्ती समिति)
सिविल न्यायाधीश (व.खं) एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर ।

आवेदक का हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

1. नाम अभ्यर्थी : ....
2. पिता का नाम : ....
3. माता का नाम : ....
4. पति/पत्नी का नाम : ....
5. जन्म तिथि : दिनांक .... माह .... वर्ष .....
   शब्दो में : ....
6. जाति : ....
   अभ्यर्थी जिस वर्ग का सदस्य है उस पर (✓) करें
   सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै/महिला/विधवा/परित्यक्ता
7. वर्तमान पता : ....
   ....
   ....
8. स्थाई पता : ....
   ....
   ....
9. शैक्षणिक योग्यता : ....
10. वर्तमान में सेवारत है तो :
    पद .... नियुक्ति दिनांक .... विभाग ....
11. निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम : ....
12. विवाह की दिनांक :
13. जीवित संतानों की संख्या :
14. संलग्न दस्तावेज :

01.		06.	
02.		07.	
03.		08.	
04.		09.	
05.		10.	

(हस्ताक्षर प्रार्थी मय दिनांक)

संतान संबंधी घोषणा का शपथ–पत्र

मैं..पुत्र /पुत्री श्री.. निवासी..यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 06.07.2010 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

या

मैं..पुत्र /पुत्री श्री.. निवासी..यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ।

स्थानः
दिनांक :–

शपथग्रहिता
( )

सत्यापन

मैं, ..., उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सही व सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थानः
दिनांक :–

शपथग्रहिता
( )